

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून  
 वनादेश सं० 95 / 1-13 देहरादून दिनांक, 31 मई, 2022

पदोन्नति/तैनाती

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड के वनादेश सं० 55/1-12(29) एच०आर०डी० दिनांक 05-01-2022 से पात्रता में शिथिलीकरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1185/1-12 दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 10-01-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 लेवल-5 के कार्मिक को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदान्ति आदेश प्रभावी होने की तिथि
1	श्री मनोज सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी, टाँस वन प्रभाग, पुरोला	01-06-2022

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देंगे। स्थानान्तरण सत्र में संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत कार्मिकों की रिक्तियों पर आवश्यकतानुसार नियमानुसार पृथक से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु स्वतंत्र होंगे।

3. संबंधित कार्मिक पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

सं० 2041 (1)/ 1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टाँस वन प्रभाग, पुरोला।
4. मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
5. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

I.T.C.C

क. क. क. क. क. क.

2/11

2/11

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक